रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2015/ज्येष्ठ 19, 1937
No. 157] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2015/JYAISTHA 19, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2015

सं. 20/2015–2020

विषयः– प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.38 (viii) (ख) और (ग) तथा पैरा 4.42 (ग) में संशोधन के संबंध में दिनांक 4 जून, 2015 की सार्वजनिक सूचना सं0 16 से संबंधित शुद्धिपत्र।

फा0 सं0 01/94/180/333/एएम 15/पी सी 4.—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.38 (viii) (ख) और (ग) तथा पैरा 4.42 (ग) में संशोधन करते हुए दिनांक 04 जून, 2015 की सार्वजनिक सूचना सं0 16 से संबंधित शुद्धिपत्र अधिसूचित करते है। इन सुधारों को 1 अप्रैल, 2015 से लागू माना जाएगा।

पैरा 4.38 (viii) (ख) और (ग) में सुधार

सुधार किए गए पैरा 4.38 (viii) (ख) और (ग) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः–

"4.38 प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा

(viii) (ख) जहाँ प्राधिकार पत्र 18 माह की प्रारंभिक दायित्व अवधि के साथ जारी किए जाते हैं और पोत लदान की अंतिम तारीख 30 माह के भीतर होती हैः–

ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र के सबसे पहले के निर्गम की तारीख से 30 माह तक किए गए निर्यात पर ही क्लबिंग हेतु विचार किया जायेगा। निर्यात लेखांकन सबसे पहले के प्राधिकार पत्र के निर्गम की तारीख से 18 माह के पश्चात परन्तु 24 माह तक किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से समायोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। सबसे पहले के

प्राधिकार पत्र की तारीख से 24वें माह के पश्चात 30वें माह तक किए गए निर्यात के लिए संरचना शुल्क किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से लगेगा।

(ग) जहाँ 36 माह की प्रारंभिक दायित्व अवधि के साथ प्राधिकार पत्र (पत्रों) को 18 माह की प्रारंभिक दायित्व अवधि के साथ प्राधिकार पत्र (पत्रों) को क्लब किया जाता है:

ऐसे मामलों में, प्राधिकार पत्र के सबसे पहले के निर्गम की तारीख से 30 माह तक किए गए निर्यात पर ही क्लबिंग हेतु विचार किया जायेगा। निर्यात लेखांकन सबसे पहले के प्राधिकार पत्र के निर्गम की तारीख से 18 माह के पश्चात परन्तु 24 माह तक किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से समायोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। 24वें माह के पश्चात 30वें माह तक किए गए निर्यात के लिए संरचना शुल्क किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से लगेगा।

2. पैराग्राफ 4.42 (ग) में सुधार

सुधार किए गए पैराग्राफ 4.42 (ग) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"4.42. निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि और इसका विस्तार

(ग) उपर्युक्त (ख) में प्रथम समयावधि बढ़ाने के पश्चात समयावधि को आगे बढ़ाने हेतु अनुरोध पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है, बशर्ते प्राधिकार–पत्र धारक ने यथानुपात आधार पर मात्रा और मूल्य के अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व को पूरा किया हो। यह पूरा न किए गए निर्यात दायित्व के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से समायोजन शुल्क का भुगतान किए जाने के अधीन होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा आगे समयावधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान विदेश व्यापार नीति 2009–2014 के दौरान जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों पर भी लागू होगा तथापि, उप पैरा (ख) और इस उप पैरा में यथा प्रदत्त प्रत्येक छह माह के लिए समयावधि को केवल दो बार बढ़ाये जाने की अनुमति दी जा सकती है जो संयोजन शुल्क का भुगतान किए जाने के अधीन है तथा क्षेत्रीय प्राधिकारी किसी भी परिस्थिति में निर्यात दायित्व की अवधि को पूरा करने की अवधि के समाप्त होने की तिथि से 12 माह से अधिक समयावधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा। दूसरी बार समयावधि को बढ़ाने का आवेदन करते समय प्राधिकार पत्र धारक को एक स्वतंत्र सनदी लेखाकार/सनदी अभियंता से प्राप्त प्रमाण पत्र क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया हो कि अनुप्रयुक्त आयातित/घरेलू रूप से अधिप्राप्त की गई निविष्टियाँ आवेदक के पास उपलब्ध हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्राधिकार पत्र की दूसरी बार समयावधि बढ़ाने के मामले में संरचना शुल्क किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से लगेगा। तदनुसार पैरा 4.38 (viii) (ख) और (ग) को पैरा 4.38 (viii) (क) के अनुरुप बनाने के लिए इसमें संशोधन किए गए हैं। पैराग्राफ 4.42 (ग) की टंकण संबंधी त्रुटि को ठीक कर दिया गया है।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th June, 2015

No. 20/2015-2020

Subject: **Corrigendum to Public Notice No.16 dated 4th June, 2015 in respect of amendments in Paragraphs 4.38 (viii) (b)&(c) and paragraph 4.42(c) of Hand Book of Procedure**

F. No. 01/94/180/333/AM15/PC 4.— In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the corrigendum to Public notice 16 dated 4th June, 2015, amending Paragraphs 4.38(viii)(b)&(c) and 4.42(c) of Handbook of Procedures of FTP 2015-20. These corrections shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2015.

1. Correction in paragraphs 4.38(viii)(b)&(c)

Corrected paragraphs 4.38(viii)(b)&(c) shall read as under:-

"4.38. Facility of Clubbing of Authorisations

(viii) (b) Where Authorisations are issued with initial obligation period of 18 months and last date of shipment is within 30 months:

In such cases, exports made upto 30 months from the date of issuance of earliest authorization only will be taken into consideration for clubbing. Accounting of exports shall be subject to payment of a composition fee @ 0.5% of FOB value of exports made after 18 months from the date of earliest authorisation but upto 24 months. For the exports effected after 24th month till 30th month from the date of earliest Authorisation, the composition fee will be @ 0.5% per month of FOB value of exports made.

(c) Where Authorisation(s) with initial obligation period of 36 months is clubbed with authorization(s) with initial obligation period of 18 months.

In such cases, exports made upto 30 months from the date of issuance of earliest authorization only will be taken into consideration for clubbing. Accounting of exports shall be subject to payment of a composition fee @ 0.5% of FOB value of exports made after 18 months from the date of earliest authorisation but upto 24 months. For the exports effected after 24th month till 30th month from the date of earliest Authorisation, the composition fee will be @ 0.5% per month of FOB value of exports made.

2. Correction in paragraph 4.42 (c)

Corrected paragraph 4.42 (c)shall read as under:-

"4.42. Export Obligation (EO) Period and its Extension

(c) Request for further extension of six months after first extension as in (b) above can be considered by Regional Authority, provided Authorisation holder has fulfilled minimum 50% export obligation in quantity as well as in value, on pro-rata basis. This will be subject to payment of composition fee @ 0.5% per month on unfulfilled FOB value of export obligation. No further extension shall be allowed by Regional Authority. This provision shall also be applicable to Advance Authorisations issued during FTP 2009-2014. However, only two extensions of six months each as given in sub-para (b) and in this sub-para can be allowed subject to payment of composition fee and under no circumstance Regional Authority shall allow any extension beyond 12 months from date of expiry of EO period. At the time of filing application for second extension, authorisation holder will have to submit a certificate to RA from an independent Chartered Accountant/Chartered Engineer certifying that unutilised imported/domestically procured inputs are available with the applicant.

Effect of this Public Notice: In case of second extension of authorisation, the composition fee shall be charged @0.5% per month of FOB value of exports made. Accordingly, corrections have been made in Paragraphs 4.38 (viii)(b)&(c) to align the same with paragraph 4.38(viii)(a). Typographical error in paragraph 4.42(c) has been corrected.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.